

राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ लि०
“जनजाति विकास भवन” उदयपुर

दूरभाष 0294- 2491740, फ़ैक्स 0294-2490345, ई-मेल rtadcf @ rediffmail.com
एफ ()राजससंघ/विपणन/2018-19/11 दिनांक: 12 अप्रैल 2018

निविदा सूचना

राजससंघ, उदयपुर द्वारा जनजाति उपयोजना क्षेत्र में (उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं आबूरोड़) सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के अन्तर्गत नियन्त्रित खाद्यान्न एवं अन्य वस्तुओं के उचित मूल्य की दुकानों तक डोर-टू-डोर स्टेप डिलेवरी करने के लिये परिवहन कार्य हेतु निर्धारित प्रपत्र में ऑन लाईन निविदा दिनांक 02 मई, 2018 को सायं 6.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। जिसकी तकनीकी बिड दिनांक 03 मई, 2018 को प्रातः 11.00 बजे खोली जायेगी।

विस्तृत निविदा सूचना एवं निविदा प्रपत्र वेबसाईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड किये जा सकते हैं। इस कार्यालय द्वारा हार्ड कॉपी में निविदा प्रपत्र जारी नहीं किये जायेंगे। किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या के लिये हेल्प नम्बर 0141-4022688 से सम्पर्क किया जा सकता है।

प्रबन्ध निदेशक

राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ लि०
“जनजाति विकास भवन” उदयपुर

दूरभाष 0294- 2491740, फ़ैक्स 0294-2490345, ई-मेल rtadcf @ rediffmail.com
 एफ ()राजससंघ/विपणन/2018-19/11 दिनांक 12 अप्रैल 2018,

विस्तृत अल्पकालीन ई-निविदा सूचना

राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ लि०, प्रतापनगर, उदयपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिये जनजाति उपयोजना क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के अन्तर्गत नियंत्रित खाद्यान्न एवं अन्य वस्तुओं का परिवहन कर उचित मूल्य की दुकानों तक डोर टू डोर स्टेप डिलिवरी करने हेतु **क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय, बांसवाडा** हेतु पंजीकृत परिवहनकर्ताओं से ऑनलाईन निविदाएँ आमंत्रित की जाती है। विस्तृत निविदा प्रपत्र <http://eproc.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड किये जा सकते हैं। इस कार्यालय द्वारा जारी निविदा से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की हार्ड कॉपी उपलब्ध नहीं करवाई जायेगी। किसी भी प्रकार की समस्या हेतु हेल्प डेस्क नम्बर 0141-4022688 से सम्पर्क किया जा सकता है।

निविदा सम्बन्धित विवरण **क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय, बांसवाडा**

1.	अनुमानित परिवहन व्यय क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय बांसवाडा हेतु	अनुमानित परिवहन राशि 160.00 लाख रुपये
2.	निविदा शुल्क	5900.00 रुपये (+ 18% GST सहीत)
3.	प्रोसेसिंग फीस	1000.00 रुपये
4.	बयाना/अमानत राशि	3.20 लाख रुपये
5.	पब्लिशिंग की दिनांक एवं समय	13 अप्रैल, 2018 4.30 पी एम
6.	निविदा प्रपत्र डाउनलोड प्रारम्भ करने की दिनांक व समय	13 अप्रैल, 2018 5.30 पी एम
7.	निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने की अन्तिम दिनांक व समय	02 मई, 2018 4.00 पी एम
8.	निविदा प्रस्तुत करने की प्रारम्भ दिनांक व समय	14 अप्रैल, 2018 10.00 ए एम
9.	निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक व समय	02 मई, 2018 6.00 पी एम
10.	निविदा (तकनीकी बिड) खोलने का समय एवं दिनांक	03 मई, 2018 प्रातः 11.00 बजे राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ लि०, जनजाति विकास भवन, प्रतापनगर, उदयपुर में खोली जायेगी।

नोट:

- 1- बयाना राशि एवं निविदा शुल्क का बैंकर चेक/डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ लि०, के पक्ष में उदयपुर में देय एवं प्रोसेसिंग फीस की राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट **M.D. RISL** के पक्ष में जयपुर में देय निविदाओं के खोलने के दिनांक व समय से पूर्व ऑफलाईन मोड में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 2- निविदादाता जो निविदा में भाग लेना चाहते हैं, का <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर पंजीकृत होना अनिवार्य हैं।
- 3- e-tender (online) टेण्डर में भाग लेने हेतु निविदादाता को इन्फोरमेशन एण्ड टेक्नोलोजी एक्ट 2000 के तहत डिजिटल सिग्नेचर कार्ड (डी एस सी) प्राप्त करना अनिवार्य है।
- 4- किसी भी निविदा को अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्रबन्ध निदेशक के पास सुरक्षित हैं।

प्रबन्ध निदेशक
राजससंघ लि०, उदयपुर

राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ लि०,
“जनजाति विकास भवन”, प्रतापनगर, उदयपुर

दूरभाष : 0294-2491740, 2490328, 2490345, 2490384

email- rtadcf@rediffmail.com

क्रमांक: एफ 21 ()राजससंघ/विपणन/2018-19/11 दिनांक 12 अप्रैल 2018

खाद्यान्न परिवहन निविदा की विस्तृत शर्तें एवं निर्देश

1. राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ लि०, प्रतापनगर, उदयपुर द्वारा जनजाति उपयोजना क्षेत्र में बांसवाडा जिले हेतु सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के अन्तर्गत नियंत्रित खाद्यान्न एवं अन्य वस्तुओं के उचित मूल्य की दुकानों तक डोर टू डोर स्टेप डिलिवरी के लिये परिवहन कार्य करने हेतु क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय, बांसवाडा हेतु पंजीकृत परिवहनकर्ताओं से ई-प्रोक्योरमेन्ट के माध्यम से ऑनलाईन निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं।
 2. निविदादाता के लिये परिवहन कार्य के सम्बन्ध में निम्न अर्हताएं (Eligibility) का होना अनिवार्य है।
 - 2.1 निविदादाता परिवहन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा ट्रांसपोर्ट एजेन्ट के रूप में अनुज्ञप्ति (Licence) का प्रमाण पत्र धारक होना चाहिये।
 - 2.2 निविदादाता के पास परिवहन कार्य करने का न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिये।
 - 2.3. निविदादाता प्रयुक्त होने वाले न्यूनतम 2 (दो) परिवहन वाहनों (न्यूनतम 9 टन क्षमता) का स्वयं का स्वामित्व होने के प्रमाण पत्र (वाहन पंजीकरण प्रमाण-पत्र) होने चाहिए।
 - 2.4 निविदादाता का परिवहन व्यवसाय का कम से कम 20 लाख रूपयें का वार्षिक टर्न ओवर होना चाहिए, इसके प्रमाण स्वरूप गत वित्तीय वर्ष का चार्टर्ड एकाउन्टेंट का प्रमाण पत्र मय बेलेंसशीट की प्रति निविदादाता द्वारा प्रस्तुत की जावेगी।
 - 2.5 वस्तु एवं सेवाकर पंजियन प्रमाण-पत्र की छाया प्रति।
 - 2.6 पेनकार्ड की प्रमाणित छाया प्रति
 - 2.7 निविदादाता को 100/-रु. के स्टाम्प पेपर पर पूर्व में उसके विरुद्ध खाद्यान्न परिवहन के प्रकरणों में कोई भी आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं होने संबंधी शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
 - 2.8 निविदादाता द्वारा निर्धारित स्थान पर किसी राजपत्रित अधिकारी/मजिस्ट्रेट के द्वारा प्रमाणित फोटो संलग्न किया जाये, जो 6 माह से अधिक पुराना न हो। संलग्न प्रपत्र।
- उपरोक्त अर्हताओं के अभाव में निविदा को नॉन रेस्पॉन्सिव (Non responsive) माना जाकर निरस्त किया जा सकेगा।

3. निविदादाता को निम्न प्रपत्रों की हस्ताक्षरित की जाकर स्केन कॉपी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
 - 3.1— अमानत राशि एवं निविदा शुल्क के डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चेक की प्रतिलिपि।
 - 3.2— प्रोसेसिंग राशि रूपये 1000 के डिमाण्ड ड्राफ्ट की प्रतिलिपि।
 - 3.3— परिवहन विभाग द्वारा जारी प्राधिकार प्रपत्र (लाईसेंस) की प्रति।
 - 3.4— अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति।
 - 3.5— दो परिवहन वाहनों के स्वामित्व के पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति।
 - 3.6— निविदादाता का परिवहन व्यवसाय का कम से कम 20 लाख रूपयें का वार्षिक टर्न ओवर होना चाहिए, इसके प्रमाण स्वरूप गत वित्तीय वर्ष का चार्टर्ड एकाउन्टेंट का प्रमाण पत्र मय बेलेन्सशीट की प्रति।
 - 3.7— वस्तु एवं सेवाकर पंजियन प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति।
 - 3.8— पेन (PAN)कार्ड की प्रमाणित प्रति।
 - 3.9— निविदादाता को 100/-रु. के स्टाम्प पेपर पर पूर्व में उसके विरुद्ध खाद्यान्न परिवहन के प्रकरणों में कोई भी आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं होने संबंधी शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
 - 3.10— निविदादाता द्वारा निर्धारित स्थान पर किसी राजपत्रित अधिकारी/मजिस्ट्रेट के द्वारा प्रमाणित फोटो संलग्न किया जाये, जो 6 माह से अधिक पुराना न हो। संलग्न प्रपत्र।
 - 3.11— निविदादाता को निविदा प्रपत्र और इन शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ के अन्त में हस्ताक्षर करने होंगे।
- 4— **निविदा शुल्क, धरोहर राशि एवं प्रोसेसिंग फीस के सम्बन्ध में निर्देश:**
 - 4.1— निविदादाता को **क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय, बांसवाडा** हेतु प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ लि0, उदयपुर के पक्ष में बयाना राशि रूपये 3.20 लाख के डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चेक राशि का निविदा खोलने के पूर्व मूल रूप में प्रधान कार्यालय, राजससंघ लि0, उदयपुर के नाम से (उदयपुर में देय) जमा कराने होंगे।
 - 4.2— निविदादाता को प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ लि0, उदयपुर के पक्ष में उदयपुर में देय निविदा प्रपत्र शुल्क 5900.00 रूपये(कर सहित) का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चेक निविदा खोलने के पूर्व मूल रूप में प्रधान कार्यालय, राजससंघ लि0, उदयपुर में जमा कराना होगा।
 - 4.3— निविदादाता को क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर हेतु MD, RISL के पक्ष में जयपुर शहर में देय प्रोसेसिंग फीस 1000.00 रूपये के डिमाण्ड ड्राफ्ट

निविदा खोलने के पूर्व मूल रूप में प्रधान कार्यालय, राजससंघ लि0, उदयपुर में जमा कराना होगा।

4.4 उपरोक्तानुसार समस्त राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक निविदा खोलने के पूर्व प्रधान कार्यालय, राजससंघ लि0, उदयपुर में जमा कराया जाना आवश्यक है अन्यथा निविदादाता द्वारा प्रस्तुत की गयी निविदा निरस्त की जायेगी।

- 5 (1) निविदादाता द्वारा वित्तीय बिड में निर्धारित B.O.Q.(Bill of Quotation) में राजकीय परिवहन दर पर प्रतिशत (कम/अधिक) दर आधार पर ऑनलाईन प्रस्तुत करनी होगी।
- 5 (2) निविदादाता द्वारा प्रस्तुत की गयी दरें स्वीकृति हेतु 90 दिवस हेतु वैध होगी। स्वीकृत दर दिनांक 31 मार्च 2019 तक मान्य होगी।
- 5 (3) इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत दरों पर दोनो पक्षों की आपसी सहमति से अनुबन्ध की अवधि एक वर्ष अर्थात् 31 मार्च, 2020 तक बढ़ाई जा सकेगी परन्तु किसी भी स्थिति में स्वीकृत दरों में वृद्धि नहीं की जायेगी।

5.4 राज्य सरकार की स्वीकृत दरें

परिवहन कार्य हेतु वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित एवं स्वीकृत दरें निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	विवरण	राशि (रूपये में)
1.	प्रथम 0- 5 किमी तक	16.00 प्रति क्विंटल
2.	6 किमी से 15 किमी तक	9.85 प्रति क्विंटल
3.	16 किमी से 75 किमी तक	0.31 प्रति क्विंटल प्रति किमी
4.	76 किमी से अधिक	0.23 प्रति क्विंटल प्रति किमी

- 5.5 इच्छुक व्यक्ति/संस्था अपनी इच्छानुसार दरें न देकर परिशिष्ट में अंकित विभागीय दर के सामने तुलनात्मक विवरण में प्रतिशत कम या अधिक में अपनी दरें देंगे। दरों का अंको एवं शब्दों में स्पष्ट उल्लेख करें।
- 5.6 खाद्यान्न परिवहन व आपूर्ति के दौरान यदि कोई स्थानीय कर यथा चुंगी, टोल टेक्स, पूल टेक्स आदि प्रभारित हो तो उसका भुगतान निविदादाता को करना होगा। संघ पृथक से कोई भुगतान नहीं करेगा।
- 5.7 खाद्यान्न परिवहन में खुदरा विक्रय केन्द्रों (उचित मूल्य की दुकान) की दूरी का निर्धारण संबंधित जिला रसद अधिकारी के द्वारा किया जाता है। उनके द्वारा निर्धारित किलोमीटर भुगतान का आधार होगा। अन्य शब्दों में सफल निविदादाता द्वारा भारतीय खाद्य निगम से संघ के गोदाम तक परिवहन कार्य, अनलोडिंग व लोडिंग हेतु कोई भुगतान देय नहीं होगा।

6. निविदा सम्बन्धी अन्य शर्तें:—
- 6.1 निविदा प्रपत्र में निविदादाता अपनी और से किसी प्रकार की कोई शर्त अंकित नहीं करें। अगर कोई निविदादाता अपनी तरफ से कोई शर्त अंकित करेगा तो उसकी निविदा निरस्त की जा सकेगी।
 - 6.2 निविदादाता अपनी निविदा अथवा कार्य के किसी भाग को न तो किसी एजेन्सी को सौंपेंगी और न ही किसी को आगे निविदा दर पर स्वीकृत करेंगे।
 - 6.3 परिवहन कार्य हेतु संघ को प्रति दिन औसतन 20 से 30 भारी वाहनों (ट्रक—ट्रोला)की आवश्यकता रहती है तथा कभी कभी किसी दिन विशेष 40 से 60 भारी वाहनों की आवश्यकता भी होती है। अतः निविदादाता निविदा भरने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि वह परिवहन कार्य हेतु उक्तानुसार वाहन उपलब्ध करने हेतु सक्षम है। यदि पालना नहीं की जाती है तो क्षेत्रीय प्रबन्धक, राजससंघ द्वारा उसके विरुद्ध शास्ती लगाये जाने हेतु सक्षम अधिकारी को अनुशंसा की जावेगी।
 - 6.4 निविदादाता को निविदा प्रपत्र और इन शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ के अन्त में हस्ताक्षर करने होंगे।
7. परिवहन कार्य में निम्न कार्य सम्मिलित है :—
- 7.1 भारतीय खाद्य निगम/वेयरहाउस के विभिन्न गोदामों/स्थानीय रेल्वे हेड/ नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्थित अन्य स्थानों से **क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय, बांसवाडा** के विभिन्न गोदामों तक तथा क्षेत्रीय कार्यालय के विभिन्न गोदामों से भिन्न-भिन्न गन्तव्य स्थानों की उचित मूल्य की निर्धारित दुकानों तक खाद्यान्न का परिवहन करना, नियमानुसार लोडिंग, अनलोडिंग का कार्य करना तथा खाद्यान्न को तुलवाने का कार्य करना, उक्त समस्त कार्य समेकित आधार पर किया जायेगा।
 - 7.2 खाद्यान्न परिवहन में राज्य सरकार की डोर-टू-डोर डिलीवरी, खाद्य सुरक्षा अधिनियम,2013 के अन्तर्गत (अन्त्योदय योजना सहित) ए.पी. एल. बी.पी.एल., व अन्य योजना का खाद्यान्न व अकाल राहत की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत चावल, गैहूं एवं अन्य खाद्यान्न सम्मिलित हैं।
 - 7.3 राज्य सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम के किसी भी डिपो/वेयर हाऊस से खाद्यान्न का आवंटन किए जाने की स्थिति में परिवहनकर्ता उक्त परिवहन कार्य करने को भी बाध्य होगा।
 - 7.4 उपरोक्त वर्णित योजनाओं के अतिरिक्त भी राज्य सरकार द्वारा आवंटन की स्थिति में अन्य योजना के खाद्यान्न परिवहन को कार्य करने को भी निविदादाता बाध्य होगा।

- 7.5. सफल निविदादाताओं को परिवहन कार्य में निम्न सावधानियां व प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक होगा।
- 7.5(1) सफल निविदादाता(अनुमोदित परिवहनकर्ता) भारतीय खाद्य निगम/ राजससंघ से माल जिस स्थिति में (Load) भरेगा उसी स्थिति में बिना किसी प्रकार की छीजत के गन्तव्य स्थान पर सुरक्षित पहुंचायेगा तथा इस कार्यालय से जारी किये गये बिल अनुसार माल तौल कर डीलर/ अधिकृत व्यक्ति से रसीद प्राप्त कर कार्यालय में अधिकतम 3 दिवस में प्रस्तुत करेगा। रसीद सतर्कता समिति के सदस्यों से प्रमाणित होने की स्थिति में ही भुगतान किया जायेगा। वाहन चालक के साथ डीलर को जारी बिल एवं प्राप्ति रसीद के रिक्त प्रफोर्मा आदि नागरिक एवं आपूर्ति विभाग, राजस्थान सरकार तथा संबंधित जिला रसद अधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप होंगे जिसकी पालना सफल निविदादाता को करनी होगी।
- 7.5(2) सफल निविदादाता(अनुमोदित परिवहनकर्ता) को पूर्व में निर्धारित की गई दिनांक तथा निर्धारित मार्गों (Route) पर रूट चार्ट के अनुसार ही सामग्री पहुंचानी होगी जो कि एक से अधिक राशन के खुदरा केन्द्रों की भी हो सकती हैं। सफल निविदादाता को न्यूनतम (Shortest) निर्धारित मार्ग (रूट) से ही माल का परिवहन करना अनिवार्य होगा।
- 7.5(3) सफल निविदादाता(अनुमोदित परिवहनकर्ता) माल परिवहन, लोडिंग, अनलोडिंग तथा डीलर अधिकृत व्यक्ति को आपूर्ति करने के दौरान किसी भी स्तर पर उक्त परिवहन कार्य में शर्तों के विपरित अथवा अवैध कार्य करता पाया गया तो तत्काल F.I.R. दर्ज कराई जाकर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा व अन्य परिवहन व्यवस्था पर अंतर की राशि वसूल की जावेगी। भारतीय खाद्य निगम/ इस कार्यालय से डीलर/ अधिकृत व्यक्ति को डिलीवरी देने तक की समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
- 7.5(4) सफल निविदादाता(अनुमोदित परिवहनकर्ता) अथवा उनका अधिकृत प्रतिनिधि प्रतिदिन भारतीय खाद्य निगम अथवा अधिकृत गोदाम/स्थान पर निर्धारित समय पर उपस्थित होगा तथा उनके द्वारा लगायी जाने वाली ट्रकों की हस्ताक्षरित सूची तीन प्रतियों में इस कार्यालय के प्रतिनिधि को प्रस्तुत करेगा। जिसमें से एक प्रति भारतीय खाद्य निगम पर पदस्थापित इस कार्यालय के कर्मचारी द्वारा अपने पास रखी जायेगी तथा शेष 2 प्रतियां एफ.सी.आई. की यूनिट पर अनुमोदित कराकर एक सूची गेट पर तथा दूसरी कांटे पर दी जावेगी। भारतीय खाद्य निगम में राजससंघ के प्रतिनिधि द्वारा तैयार की जाने वाली पंजिका में भी वाहन चालक एवं परिवहनकर्ता अथवा उसके प्रतिनिधि को हस्ताक्षर करना होगा।

- 7.5(5) सफल निविदादाता(अनुमोदित परिवहनकर्ता) को क्षेत्रीय कार्यालय को आवंटित खाद्यान्न, भारतीय खाद्य निगम से उठाना होगा। उसमें से डीलर को जारी किये गये माल के अतिरिक्त खाद्यान्न को क्षेत्रीय कार्यालय के गोदाम में खाली करना होगा। जो माल गोदाम में डम्प किया जावेगा उसका परिवहन व्यय व हमाली अर्थात डम्प किये गये माल हेतु कोई राशि देय नहीं होगी। डीलर को जारी किये जा रहे खाद्यान्न को क्षेत्रीय कार्यालय के गोदाम पर तुलवा कर क्षेत्रीय कार्यालय की निर्धारित मुद्रांक (छाप) अंकित करना भी आवश्यक होगा। गोदाम में खाली करने या डीलर को जारी किये जा रहे खाद्यान्न के लोडिंग व अनलोडिंग व तौलने हेतु पृथक से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा। किसी भी स्थिति में आवंटित खाद्यान्न लेप्स नहीं होना चाहिये। खाद्यान्न लेप्स होने की स्थिति में एफ.सी. आई. की दर एवं बाजार मूल्य की अन्तर राशि को परिवहनकर्ता से वसूली की जावेगी। जो माल गोदाम में डम्प किया जावेगा उसका कोई परिवहन व्यय, हमाली देय नहीं होगी। किसी भी स्थिति में आवंटित खाद्यान्न लेप्स नहीं होना चाहिये। डम्प किये गये माल हेतु कोई राशि देय नहीं होगी।
- 7.5(6) खाद्यान्न परिवहन कार्य में नियन्त्रित खाद्यान्न परिवहन व अकाल राहत परिवहन का कार्य अति महत्वपूर्ण कार्य हैं। इन योजनाओं में जिला प्रशासन द्वारा आवंटित मात्रा भारतीय खाद्य निगम से निर्धारित अवधि में उठाना आवश्यक होता है, अतः अपेक्षित संख्या में ट्रकों की उपलब्धता सुनिश्चित कर अपेक्षित मात्रा में खाद्यान्न का उठाव निर्धारित अवधि में करना निविदादाता का कर्तव्य होगा। उक्त कर्तव्य की पालना के अभाव में संघ के कमीशन की राशि, अवरूद्ध (भारतीय खाद्य निगम में जमा राशि) धन राशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज व भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्रभारित कटौति की पूर्ति करने का उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा। उक्त शर्त की बार-बार अवहेलना की स्थिति में अनुबंध निरस्त भी किया जा सकेगा। वैकल्पिक व्यवस्था से हुए व्यय निविदादाता की जोखिम के अधीन होगा।
8. सफल निविदादाता (अनुमोदित परिवहनकर्ता) द्वारा परिवहन के दौरान यदि गन्तव्य स्थल पर कम तौल कर देने अथवा अनाधिकृत व्यक्तियों को हस्तान्तरित करने एवं खाद्यान्न का और किसी तरह से दुरुपयोग की शिकायत होने पर निविदादाता के विरुद्ध सिविल सप्लाई अधिनियम एवं अन्य विधि सम्मत कानूनी कार्यवाही की जाएगी। परिवहनकर्ता यदि ट्रक किराए पर लेता है तो किराए के ट्रक के वाहन चालक द्वारा किसी भी तरह की की गई गड़बड़ी का उत्तरदायित्व भी निविदादाता का ही होगा।
9. राजससंघ अपने क्षेत्रीय कार्यालय के स्वयं का अथवा राजससंघ कोई भी वाहन परिवहन कार्य हेतु प्राथमिकता के आधार पर स्वविवेक से उपयोग

करने हेतु स्वतन्त्र होगा। अनुमोदित परिवहनकर्ता को इस सम्बन्ध में कोई भी आपत्ति उठाने का अधिकार नहीं होगा।

10. सफल निविदादाता (अनुमोदित परिवहनकर्ता) के भुगतान पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार व स्थानीय सरकार द्वारा यदि कोई कर (आय कर आदि) प्रभारित होता है तो उसकी उद्गम स्थान पर कर की कटौति सफल निविदा दाता के भुगतान में से की जावेगी। परिवहन सेवा पर यदि कोई वस्तु एवं सेवा कर प्रभारित होता है तो वस्तु एवं सेवा कर के भुगतान का दायित्व इस कार्यालय का नहीं होगा। अन्य शब्दों में निविदादाता द्वारा प्रस्तावित दरें समस्त प्रकार के कर सहित (वस्तु एवं सेवा कर, आदि सहित) होगी। परिवहन सेवा पर वस्तु एवं सेवा कर की देयता की स्थिति में अनुमोदित परिवहनकर्ता वस्तु एवं सेवा कर पृथक से राजकोष में जमा कर चालान की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगा। चालान की प्रति प्रस्तुत करने के बाद ही निविदादाता को परिवहन का अनुमोदित दर से भुगतान किया जावेगा। उसको बिलो पर इस आशय का प्रमाण-पत्र अंकित करना होगा कि वस्तु एवं सेवाकर पंजीयन प्रमाण-पत्र वैध है तथा बिल में पृथक से दर्शाई गई वस्तु एवं सेवाकर की राशि राजकोष में जमा करा दी गई है। चालान की प्रति बिलो के साथ संलग्न करनी होगी।
11. सफल निविदादाता (अनुमोदित परिवहनकर्ता) को खाद्यान्न परिवहन एवं भण्डारण में किसी भी स्तर पर कोई घटत/छीजत देय नहीं होगी।
12. अनुमोदित परिवहनकर्ता किसी भी खुदरा विक्रेता से पृथक से परिवहन या हमाली आदि के भुगतान की मांग नहीं करेगा।
13. सफल निविदादाता को आदेश प्राप्ति के सात दिवस में नियमानुसार निर्धारित प्रारूप में 5000/- के नोन ज्युडिशियल स्टाम्प (राजस्थान सरकार द्वारा जारी) पर ईकरारनामा निष्पादित करना होगा।
14. ईकरारनामा समय पर निष्पादित करने के उपरान्त ही परिवहन राशि भुगतान सम्बन्धी प्रक्रिया प्रारम्भ की जायेगी।
15. निविदा व ईकरार नामों की शर्तों की समुचित अनुपालना हेतु सफल निविदादाता को निम्नानुसार प्रतिभूति राशि व बैंक गारन्टी जमा कराना आवश्यक होगा जिसमें निविदा के साथ जमा कराई गई 2 प्रतिशत अमानत राशि(अर्नेस्ट मनी) समायोजन योग्य होगी।

(राशि लाख रूपये में)

क्र.स.	विवरण	राशि
1.	प्रतिभूति राशि(नकद) 5%	रु. 8.00 लाख
2	बैंक गारन्टी 3%	रु. 4.80 लाख

- 15.1 उक्त प्रतिभूति राशि कार्यादेश प्राप्ति के सात दिवस में जमा कराना आवश्यक होगा तथा कार्यादेश प्राप्ति के 10 दिवस में किसी भी अनुसूचित बैंक की प्रबन्ध निदेशक, राजससंघ, उदयपुर के पक्ष में देय बैंक गारन्टी (15 माह की अवधि हेतु वैध) प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। निविदा की शर्तों व ईकरार नामों की शर्तों की अवहेलना पर बैंक गारन्टी को भुनाया (Invoke) जा सकेगा।
- 15.2 बिन्दु संख्या 5(3) के अनुसार अनुबन्ध की अवधि बढ़ाये जाने पर नवीन अनुबन्ध करना होगा साथ ही नवीन अनुबन्ध हेतु बिन्दु संख्या 16(1) के अनुरूप नवीन बैंक गारन्टी पुनः प्रस्तुत करनी होगी।
16. सफल निविदादाता (अनुमोदित परिवहनकर्ता) द्वारा राजससंघ में जमा कराई गयी प्रतिभूति राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
17. बकाया राशि पर कार्यालय द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जावेगा।
18. प्रतिभूति राशि अनुबंध अवधि समाप्ति पर व कार्य संतोषजनक होने पर एवं भारतीय खाद्य निगम से मिलान होने के तीन माह बाद लौटाई जा सकेगी। निविदा व ईकरार नामों की शर्तों के अवहेलना की स्थिति में जमा अमानत/प्रतिभूति राशि संघ के पक्ष में जब्त की जायेगी।
19. डोर स्टेप डिलीवरी नियमों की अवहेलना करने पर अथवा खुदरा विक्रेता से कोई राशि वसूल करने/ समय पर खाद्यान्न परिवहन नहीं करने के कारण संघ को यदि कोई आर्थिक हानि/ संघ की प्रतिष्ठा संबंधी हानि होती है तो उसके लिए निविदादाता पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा व इसकी क्षतिपूर्ति निविदादाता द्वारा करना आवश्यक होगा।
20. सफल निविदादाता द्वारा यदि कार्य में शिथिलता बरती जाती हैं या कार्य आंशिक/ पूर्ण रूपसे बंद कर दिया जाता है या कार्य करने में असमर्थ रहता है तो उस दशा में उसे मात्र 24 घण्टे का नोटिस देकर वैकल्पिक रूप से यह कार्य विभागीय स्तर पर/ अन्य पार्टी से कराया जा सकता है। जिससे होने वाली हानि की वसूली सफल निविदादाता से की जायेगी।
21. नियन्त्रित खाद्यान्न वस्तुओं का परिवहन कार्य डोर स्टेप डिलीवरी नियमों के तहत किया जावेगा। उक्त नियम कार्यालय में उपलब्ध हैं जिन्हें देखा व समझा जा सकता है। इसकी कोई प्रति पृथक से उपलब्ध नहीं कराई जावेगी। एवं यह समझा जावेगा कि निविदादाता ने निविदा में भाग लेने से पूर्व उक्त नियमों को अच्छी तरह पढ़ लिया है साथ ही यदि राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा इन नियमों में किसी प्रकार का परिवर्तन/परिवर्धन समय-समय पर किया जाता है तो उससे भी निविदादाता बाध्य होगा। परिवहन कार्य हेतु स्वीकृत दर में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
22. राज्य सरकार की डोर स्टेप डिलीवरी के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से/संघ कार्यालय के गोदामों से गैहूं एवं चावल व अन्य खाद्यान्न ट्रकों द्वारा क्षेत्र की विभिन्न तहसीलों के उचित मूल्य के दुकानदारों को आवंटन के अनुसार जो एक क्विंटल से अधिक लेकिन एक सौ क्विंटल हो

सकता हैं, के अनुसार बोरियों पर छाप लगाना, तौल कर गोदाम में स्टेकिंग करना, माल की डिलीवरी का निर्धारित प्रपत्र में माल प्राप्ति की रसीद प्राप्त कर संघ कार्यालय में पहुंचाना होगा। डोर टू डोर स्टेप डिलीवरी के अन्तर्गत नियन्त्रित सामग्री सप्लाय हेतु प्रतिदिन मांग के अनुसार भारतीय खाद्य निगम में ट्रक प्रातः 10.00 बजे लगाना होगा।

23. नियन्त्रित खाद्यान्न के कार्य में सभी प्रकार की हेमाली तथा अन्य प्रकार के व्यय निविदादाता को करने होंगे तथा फटे बारदान की सिलाई की भी व्यवस्था निविदादाता को ही करनी होगी। कांटा-बांट, छाप, रंग, सुतली आदि की व्यवस्था निविदादाता को स्वयं के खर्च पर करनी होगी।
24. यदि परिवहन के दौरान कहीं पर भी वाहन खराब हो जाता है तो खाद्यान्न किसी अन्य वाहन में शिफ्टिंग करने की आवश्यकता पड़ती है तो ऐसा करने से पूर्व इस कार्यालय/नजदीकी पुलिस स्टेशन को सूचित करना होगा तथा इस कार्यालय से अनुमति मिलने पर ही शिफ्टिंग करेगा। इस हेतु संघ पृथक से भुगतान नहीं किया जायेगा।
25. परिवहन कार्य की मात्रा घट-बढ़ सकती हैं। निर्धारित खाद्यान्न मात्रा राज्याधीन है, अतः यदि योजना बन्द होती है तो परिवहन कार्य के वास्तविक मात्रा में असामान्य कमी हेतु राजससंघ उत्तरदायी नहीं होगा। औचित्यता के अभाव में कार्यादेश की अवधि को राजससंघ द्वारा कम किया जा सकेगा।
26. निर्धारित अवधि के पूर्व भी प्रबन्ध निदेशक, राजससंघ, उदयपुर को किसी भी समय संविदा निरस्त करने का अधिकार होगा तथा यह निविदा बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी। इस हेतु कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।
27. निविदा में वर्णित अनुमानित परिवहन भुगतान राशि से वास्तविक भुगतान अधिक होने की स्थिति में ठेकेदार के बिल से नियमानुसार 10 प्रतिशत अतिरिक्त धरोहर राशि की कटौती की जायेगी।
28. बिन्दु संख्या 3.8 के अनुसार प्रस्तुत शपथ पत्र में वर्णित तथ्य की असत्यता पाये जाने की स्थिति में नियमानुसार राजससंघ कार्यालय विधिक कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र होगा।
29. भारतीय खाद्य निगम में ट्रक भरने के पश्चात् नियन्त्रित खाद्यान्न से भरा हुआ ट्रक संघ गोदाम पर लाना होगा।
30. नियन्त्रित खाद्यान्न, कार्यालय की मांग के अनुसार एफ.सी.आई. से संघ गोदाम तक परिवहन कर गोदाम में खाली करना होगा जिसका भुगतान कार्यालय द्वारा नहीं किया जावेगा।
31. नियन्त्रित खाद्यान्न डोर टू डोर स्टेप डिलीवरी के अन्तर्गत खाद्यान्न एफ.सी.आई. से उठा कर संघ गोदाम तक पहुंचाना तथा बिल की मात्रा के अनुसार खाद्यान्न सेन्टर पर पहुंचाना तथा इस समस्त कार्य की जिम्मेदारी सफल निविदादाता की रहेगी तथा समस्त हमाली सफल निविदादाता को देनी होगी।

32. अनुमोदित परिवहनकर्ता के परिवहन व्यवसाय में लगे समस्त कार्मिकों (श्रमिक आदि) के सामाजिक कल्याण के व्यय (भविष्य निधि आदि)के समस्त व्यय का दायित्व अनुमोदित परिवहनकर्ता का होगा। इस सम्बन्ध में इस कार्यालय का कोई दायित्व नहीं होगा। भविष्य निधि की राशि का भुगतान भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय को किये जाने का प्रमाण कार्यालय को प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त ही परिवहन कार्य का भुगतान इस कार्यालय द्वारा किया जावेगा।
33. निविदादाता द्वारा पूर्व में जमा कराई गयी प्रतिभूति एवं धरोहर राशि इस निविदा हेतु मान्य नहीं होगी।
34. राजससंघ द्वारा खाद्यान्न गन्तव्य स्थान तक पहुंचाने का ही किराया देय होगा, किसी परिस्थिति में खाद्यान्न की वापसी लाने पर वापसी का किराया देय नहीं होगा।
35. खाद्यान्न का भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से उठाव कर वितरण करने की अवधि में किसी प्रकार की हानि/गबन व चोरी हेतु परिवहनकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा।
36. परिवहनकर्ता द्वारा खाद्यान्न का परिवहन करते समय ट्रक पर मोटे अक्षरों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का खाद्यान्न/चीनी का पर्दा लगायेगा।
37. परिवहनकर्ता को यदि भीगी खाद्यान्न/चीनी प्राप्त होता है या मानव के आहार योग्य नहीं है, तो उसे उपभोक्ताओं को वितरण करने हेतु उचित मूल्य दुकान को वितरित नहीं करेगा एवं इसकी सूचना तुरन्त जिला रसद अधिकारी/क्षेत्रीय प्रबन्धक, राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ लि०, उदयपुर को देगा।
38. परिवहनकर्ता की जांच में यदि कोई वसूली पाई जाती है, तो तुरन्त जमा करानी होगी अन्यथा नियमानुसार ब्याज देना होगा।
39. निर्धारित समय में कार्य सम्पन्न नहीं करने संवेदक की जिम्मेदारी होने पर निम्नानुसार लिक्विडेटेड डेमेजेज वसूल किया जायेगा :-
 - (अ) निर्धारित अवधि से चौथाई अवधि तक विलम्ब होने पर परिवहन की जा रही खाद्य सामग्री के मूल्य का 2.5 प्रतिशत।
 - (ब) 1/4 अवधि से अधिक तथा 1/2 अवधि तक विलम्ब होने पर परिवहन की जा रही खाद्य सामग्री के मूल्य का 5 प्रतिशत।
 - (स) 1/2 अवधि से अधिक तथा 3/4 अवधि तक विलम्ब होने पर परिवहन की जा रही खाद्य सामग्री के मूल्य का 7.5 प्रतिशत।
 - (द) 3/4 अवधि से अधिक तथा अधिक विलम्ब होने पर परिवहन की जा रही खाद्य सामग्री के मूल्य का 10 प्रतिशत।
40. परिवहन के दौरान वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने तथा जान अथवा माल की हानि के लिए विभाग/राजससंघ/थोक विक्रेता का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। किन्तु दुर्घटना में विभाग/राजससंघ/थोक विक्रेता को कोई हानि होती है

तो उसके लिए निविदाकार उत्तरदायी होगा व उस नुकसान की भरपाई निविदादाता द्वारा करनी होगी ।

41. परिवहनकर्ता को सौंपे गये निर्धारित मात्रा अनुसार एवं समान गुणवत्ता का गंतव्य स्थान पर समय पर पहुंचाना आवश्यक है। स्कंध की मात्रा एवं गुणवत्ता में किसी भी तरह की यदि हेराफेरी या गडबडी की जाती है तो हानि की वसूली हेतु हर संभव वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। साथ ही परिवहनकर्ता के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करते हुए संबंधित वाहन को जप्त करा दिया जावेगा एवं परिवहनकर्ता की चल-अचल सम्पत्ति से भरपाई के लिए राजससंघ स्वतन्त्र रहेगा एवं भू-राजस्व संहिता अन्तर्गत वसूली की कार्यवाही की जावेगी। अमानत में खयानत करने पर भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार परिवहनकर्ता के विरुद्ध पुलिस में प्रकरण दर्ज कर ऐसे परिवहनकर्ता को राज्य शासन/केन्द्र शासन के निगमों में भी कार्य नहीं करने देने हेतु आगामी दस वर्ष के लिए काली सूची में डाला जावेगा। इस आशय की सूचना का प्रकाशन समाचार पत्रों में भी राजससंघ द्वारा कराया जावेगा।
42. यदि परिवहनकर्ता कार्य संपादित करने हेतु अपना प्रतिनिधी नियुक्त करता है, तो ऐसी स्थिति में 100/- के स्टाम्प पेपर पर पॉवर ऑफ एटॉर्नी जारी करना अनिवार्य होगा, जो नोटरी से प्रमाणित हो। परिवहनकर्ता का इस कार्य में नियोजित स्टॉफ के पहचान पत्र क्षेत्रीय प्रबन्धक, राजससंघ से प्रमाणित करवाकर ही कार्य में संलग्न किया जावेगा।
43. निविदादाता को यदि कोई आपत्ति/ समस्या हुई तो उसका समाधान प्रबन्ध निदेशक, राजससंघ के द्वारा किया जावेगा तथा प्रबन्ध निदेशक, राजससंघ के निर्णय को निविदादाता को मानना होगा।
44. खाद्यान्न का आवंटन जिस माह के लिए किया जावेगा, उस माह से पूर्ववर्ती माह की अन्तिम तारीख तक सम्पूर्ण खाद्यान्न का उठाव करना होगा। परिवहनकर्ता के द्वारा किये गये विलम्ब के कारण यदि खाद्यान्न उठाव की वेधता अवधि बढ़ाई जाकर उठाव किया जाता है, तो नियमानुसार परिवहनकर्ता पर परिनिर्धारित क्षति अधिरोपित की जावेगी।
45. खाद्यान्न उठाव की अवधि के दौरान राजकीय अवकाशो में भी गोदाम खुलवाकर खाद्यान्न का उठाव परिवहनकर्ता को करना होगा तथा निर्धारित राशि भी परिवहनकर्ता के द्वारा नियोजित की जावेगी।
46. परिवहनकर्ता को रिलीज ऑर्डर प्राप्त होने के 7 दिवस की अवधि में अथवा निर्धारित अन्तिम तिथी तक जो भी पहले हो तक की अवधि में उठाव पूर्ण करना होगा।
47. परिवहनकर्ता से खाद्य विभाग के निर्देशानुसार मीड डे मील (पोषाहार) के गेहूँ/चावल राज्य सरकार द्वारा मीड डे मील परिवहन की निर्धारित दरों पर विद्यालयों में पहुंचाने के लिए बाध्य होगा एवं प्राप्ति रसीद कार्यालय प्रस्तुत करनी होगी। जिला रसद अधिकारी से भूगतान प्राप्त होने के पश्चात् परिवहन का भूगतान किया जावेगा।

48. इस निविदा के संबंध में किसी भी विवाद का निपटारा राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 2001 के अन्तर्गत किया जायेगा।
49. उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त जहां आवश्यक हो राजस्थान सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों एवं लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 व नियम 2013 के प्रावधान लागू होंगे।
50. समस्त विधिक कार्यवाही यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, किसी भी पक्षकार द्वारा न्यायालय उदयपुर में ही की जायेगी।

प्रबन्ध निदेशक
राजससंघ लि०, उदयपुर